# फर्द अहकीम
## (नियम 26)
## दयानन्द वगैरा बनाम हरपाल वगैरा

| तारीख हुक्म | हुक्म का कार्यवाही मय इनीशियल्य जज<br>प्रार्थना पत्र – 212 संख्या वर्ष 2019 | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए |
|---|---|---|
| 13.09.2019 | आज यह पत्रावली मूल दावा के साथ पेश हुई। प्रार्थीगण मय अधिवक्ता उपस्थित है को सुना गया। प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का केस प्रथम दृष्टया बनता है एवं सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के हक में साबित है।<br><br>अतः अप्रार्थीगण को आगामी तारीख पेशी 22.10.2019 तक अस्थाई निषेधाज्ञा चन्दरोजा से पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजी हाल खसरा नं0 594 रकबा 0.27, 595 रकबा 0.51, वाके ग्राम सैंथल तहसील तिजारा जिला अलवर पर आगामी तिथि तक प्रार्थी के हिस्से तक की आराजी में किसी भी प्रकार की मजाहमत मदाखलत पैदा न करने, डिस्टरबेन्स न करने के लिए अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। क्यों न उक्त आदेश तातैसला दावा Absolute कर दिया जावें? कोई उज्र हो तो आप स्वयं अथवा जरिये अधिवक्ता हाजिर अदालत आकर जवाब पेश करें। वकील प्रार्थीगण वास्ते तलबी अप्रार्थीगण के रजिस्टर्ड ए0डी0 के नोटिस तलबाने सात दिवस में पेश करें अन्यथा उक्त आदेश स्वतः निरस्त है, बाद तलबी पत्रावली दावा के साथ पेश हो।<br><br>उपखण्ड अधिकारी<br>तिजारा (अलवर) | |

22/10/19 पत्रावली पेश हुई। मजमून कार्यवाही ... पूर्वादेशानुसार रहते 18.12.2019 ... दिनांक 18/12/19 को पेश हो।

18/12/19 ... पत्रावली पेश हुई। मजमून कार्यवाही ... 29/1/20 पूर्वादेशानुसार रहते 29.04.2020 ... 17/2/20 दिनांक 29/4/20 को पेश हो।

7/10/20 परिवादिनी अस्ता पेश हुई प्रार्थना पत्र वापस लेने हेतु की स्वीकार किया जाता है अत: यह प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है पत्रावली बाद तकमील दाखिल हो।